

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का बैद्युक्ता बनाम चन्दी डालो भावान ठाडीर
बलपुरारामाठ

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 77 / 2018

निर्णय दिनांक :- 14/3/18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण रद्द न इस प्रकार है कि ग्राम बलपुरारामाठ

की आ.ख.न. 279 कुल रकबा 1.59 किस्म जमीन गोण्डा में से 0.01

रकबा पर श्री चन्दी डालो भावान ठाडीर ने अनाधिकृत रूप से अधिकृत कर ईयक

डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का _____ द्वारा दिनांक _____

2/3/18 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईद
मू.अ.निरी. वसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

जाकर अतिकमी चन्दी डालो भावान ठाडीर निवासी ब.रामाठ की नु.

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये मय नोटिस की तारीख
कराई गई। नोटिस बाद तारीख प्राप्त होने पर कानून पत्रावली किया गया। अतिकमी

चन्दी उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 279 रकबा 1.59 में से 0.01

रकबा किस्म गोण्डा है जो नियमन के अंतर्गत है लिखा है गोण्डा का प्रतिशत
रकबा से देखा कि ग्राम के आदेश दिए जाने पर एव दण्ड स्वरूप जमान 6 paise का


50 गुणा 3h रूपसे फैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु गोण्डा का लिखा
जावे, फैनल्टी वसूली एव देखा हेतु हल्का पटवारी बैद्युक्ता मू.अ.निरी.

वसेठ को लिखा जाकर बाद तारीख प्राप्त होने पर कानून पत्रावली किया गया। निर्णय न्यायालय में
सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर (अलवर)

रा. नं. 4 क. 53 5
नं. 24/7/18 ग. नं. 31
को काबजी की गई


तहसीलदार कठूमर (अलवर)